

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: आदेश ::—

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक : 14.02.2019 द्वारा ग्रीष्मकालीन (अवधि : 01 अप्रैल से 30 सितम्बर) एवं शीतकालीन (अवधि : 01 अक्टूबर से 31 मार्च) अवधि हेतु पृथक-पृथक विद्यालय संचालन समय निर्धारित किए गए हैं।

विभिन्न विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा-2022/प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र परीक्षा/प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा के आयोजन के मद्देनजर, ऐसे विद्यालयों में जहां विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, परीक्षा दिवस को मिड-डे-मील कार्यक्रम एवं अन्य कक्षा अध्यापन कार्य निम्नानुसार किया जाना है:-

1. **ऐसे परीक्षा केन्द्र जहां पर परीक्षा दो पारी में होनी है:-** जिन दिवसों में परीक्षा दो पारी में संचालित की जानी है उनमें प्रथम पारी की समाप्ति व द्वितीय पारी परीक्षा के प्रारम्भ होने के मध्य की अवधि में मिड-डे-मील कार्यक्रम एवं अन्य कक्षा अध्यापन कार्य संचालित किया जाएगा।
2. **ऐसे परीक्षा केन्द्र जहां पर परीक्षा केवल प्रथम पारी में होनी है:-** ऐसे परीक्षा केन्द्रों पर जहां परीक्षा केवल प्रथम पारी में होनी है वहां परीक्षा समाप्ति के उपरान्त मिड-डे-मील कार्यक्रम एवं अन्य कक्षा अध्यापन कार्य संचालित किया जाएगा।
3. **ऐसे परीक्षा केन्द्र जहां पर परीक्षा केवल द्वितीय पारी में होनी है:-** ऐसे परीक्षा केन्द्रों पर जहां केवल द्वितीय पारी में परीक्षा का आयोजन होना है, उनमें परीक्षा के दिन कक्षा संचालन व मिड-डे-मील संचालन पातः 11.00 बजे से 1.00 पीएम तक किया जाएगा।
4. **शेष विद्यालयों व बोर्ड परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा दिवस के अलावा:-** शेष विद्यालयों व बोर्ड परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा दिवस के अलावा शेष दिनों में उपर्युक्तानुसार 01 अप्रैल, 2022 से ग्रीष्मकालीन अवधि के अनुरूप मिड-डे-मील कार्यक्रम एवं अन्य कक्षा अध्यापन कार्य संचालित किया जाएगा।

समस्त सम्बन्धितों द्वारा उक्तानुसार क्रियान्विति सुनिश्चित की जावे।


(काना राम)


आइ.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक : 31.03.2022

क्रमांक: शिविरा/माध्य/मा-स/22418/शिविरा पंचांग/2021-22

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग राजस्थान, बीकानेर।
7. शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
9. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
10. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) - माध्यमिक/प्रारम्भिक।
12. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
13. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
14. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
16. रक्षित पत्रावली।


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर